संख्या-543/2017/1151/22-2-2017-17(45)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री हिमायत खां, निवासी जनपद-हरदोई की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 02-05-2017) दिनांक-22-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 22-05-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कल्लू पुत्र श्री हिमायत खां, ग्राम-सेजना, थाना-मझिला, जनपद-हरदोई का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य चल रही मुकदमें बाजी एवं सलाह करने के प्रयास को ठुकरा दिये जाने के कारण बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19.05.1980 को प्रात: लगभग 06.00 बजे बन्दूक, लाठी, कांता से 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-125/1981 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 323, 302, 307 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 23.07-1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.1988 द्वारा बन्दी की आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.04.2017 तक 28 वर्ष 06 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 46 वर्ष 09 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 61 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी द्वारा 01 व्यक्ति की हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गये विरोध एवं मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री हिमायत खां को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी कल्लू (बन्दी संख्या-24234) पुत्र श्री हिमायत खां, निवासी जनपद-हरदोई की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-543/2017/1151/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।